डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

आज दिनांक 19.05.2017 को 11:00 बजे अतिथि गृह, खन्दारी परिसर, खन्दारी, आगरा पर प्रवेश समिति की बैठक आहूत की गयी। जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	डा0 अरविन्द कुमार दीक्षित, कुलपति	:	अध्यक्ष
2.	डा0 सुजाता	:	सदस्य
3.	डा0 निर्मला यादव	:	सदस्य
4.	डा0 वीरेन्द्र सिंह चौहान	:	सदस्य
5.	डा0 ममता रानी	:	सदस्य
6.	डा0 प्रीति जौहरी	:	सदस्य
7.	श्री के0एन0 सिंह, कुलसचिव	:	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तद्पश्चात् कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 22.06.2016 की सम्पुष्टि पर विचार।

   निर्णय:- प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 22.06.2016 की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. प्रवेश नियमावली 2017-18 पर विचार ।

   निर्णय:- प्रवेश नियमावली 2017-18 को संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. महाविद्यालयों में आगामी सत्र में 2017-18 में प्रवेश नीति पर विचार।

   निर्णय:- प्रवेश नीति के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा नीतिगत निर्णय लिये जाये, जिन्हे नियमावली में जोड़ा जायेगा।

4. सत्र 2017-18 के शैक्षिक कलैण्डर लागू करने पर विचार।

   निर्णय:- सत्र 2017-18 के शैक्षिक कलैण्डर की तैयार करने लागू करने हेतु समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

5. बी0पी0एड0, बी0ए0 एल0एल0बी, एल0एल0बी0 (सत्र 2017-18), बी0एस0सी0(कृषि) प्रथम वर्ष, एम0एस0सी0(कृषि) प्रथम वर्ष एवं एम0एस0सी0 समस्त विषय प्रथम वर्ष के सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करने पर विचार।

   निर्णयः- उक्त पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रवेश हेतु नियमावली तैयार कराने का निर्णय लिया गया।

6. प्रवेश नियमावली के पृष्ठ संख्या-3 के बिन्दु संख्या 4 के (स) के अर्न्तगत प्रवेश के अन्तराल के सम्बन्ध में अर्ह परीक्षा के अन्तराल को स्पष्ट करने पर विचार करना।

   निर्णयः- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एल0एल0बी 7 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 6 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष परास्नातक अधिकतम 04 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

(के0एन0 सिंह)
सचिव

(डा0 अरविन्द कुमार दीक्षित)
अध्यक्ष

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सत्र 2017-2018 हेतु सेमिस्टर व वार्षिक शैक्षिक कलैण्डर

1-(a)	महाविद्यालयों में स्नातक, विधि(त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय) एव स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिये पजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	: शनिवार, 01 जुलाई, 2017
(b)	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए पंजीकरण की तिथि	: सोमवार, 17 जुलाई, 2017
2-(a)	स्नातक एवं विधि पचवर्षीय प्रथम वर्ष की कक्षाओं मे पर्जाकरण की अन्तिम तिथि	: सोमवार, 31 जुलाई, 2017
(b)	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं मे प्रवेश की अन्तिम तिथि	: सोमवार, 31 जुलाई, 2017
(c)	स्नातक, एवं विधि पंचवर्षीय प्रथम वर्ष की कक्षाओ के परीक्षाफार्म भरने की अन्तिम तिथि	: बुधवार, 16 अगस्त, 2017
(d)	विधि त्रिवर्षीय एव स्नाकोत्तर प्रथम वर्ष कक्षाओं में पंजीकरण की अन्तिम तिथि	: मंगलवार, 08 अगस्त, 2017
(e)	विधि त्रिवर्षीय एवं स्नाकोत्तर प्रथम वर्ष कक्षाओं के समस्त परीक्षाफार्म भरने की अन्तिम तिथि	: गुरूवार, 31 अगस्त, 2017
(f)	स्नातक द्वितीय एव तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में परीक्षाफार्म भरने की अन्तिम तिथि	: गुरूवार, 31 अगस्त, 2017
3-(a)	स्नातक एवं विधि पंचवर्षीय प्रथम वर्ष कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	: शुक्रवार, 04 अगस्त, 2017
(b)	विधि त्रिवर्षीय एवं स्नाकोत्तर प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि	: बुधवार, 16 अगस्त, 2017
(c)	स्पेशल प्रयोगात्मक परीक्षा(छूटी हुई)	: अगस्त 2017 के अन्तिम सप्ताह में
(d)	Re-exam (पुनः परीक्षा) फार्म भरने की अन्तिम तिथि	: गुरूवार, 31 अगस्त,2017
(e)	Re-exam (पुनः परीक्षा) प्रारम्भ होने की तिथि	: सोमवार, 11 सितम्बर,2017
4-(a)	स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा एवं नामांकन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	: सोमवार 31 जुलाई, 2017
(b)	महाविद्यालय(स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों) द्वारा नामाकन शुल्क, क्रीड़ा शुल्क एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क सहित विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	: शुक्रवार, 04 अगस्त, 2017
5-	विषम(ODD) सेमिस्टर परीक्षाओं की अवधि	: दिसम्बर 2017 का दूसरा सप्ताह
6-	सम(EVEN) सेमिस्टर परीक्षाओ की अवधि	: मई 2018 का तीसरा सप्ताह

7- प्रयोगात्मक परीक्षा माह जनवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह से 15 फरवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न होगी।

8- वार्षिक परीक्षा संस्थागत/व्यक्तिगत/भूतपूर्व छात्रों/पुनः परीक्षा मार्च, 2018 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल, 2018 के द्वितीय सप्ताह तक सम्पन्न होगी।

9- व्यक्तिगत परीक्षाओं के फार्म नवम्बर, 2017 मे भरवाया जायेगा।

10- परीक्षा, मूल्याकन एवं परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया कुल 75 दिन में पूर्ण की जायेगी ।

10- परीक्षाफल 15 जून, 2018 तक घोषित करना।

11- ग्रीष्मकालीन अवकाश 60 दिन का होगा।

कुलसचिव

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 19.05.2017 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2017 - 2018

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष एवम् एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगे। प्रवेश उन्ही पाठ्यक्रमों/विपयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावाली मे विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

बी0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0(गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवम् वनस्पति विज्ञान), एल0एल0बी0, बी0ए0एल0एल0बी0, एवम् बी0पी0एड0 के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेगें जिसकी नियमावली पृथक रूप से प्रसारित की जायेगी।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन-पत्र एंव अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होगें तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित कये जायेगें।

   (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2017-2018 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियो, 27 प्रतिशत स्थान पिछडी जतियों, तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलागों के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा - श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) आरक्षित होगें। विकलागों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियो के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

   (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रूपये 200/- नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रूपये 200+25/- आगामी सत्र 2017-2018।

   (द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका मे विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय को वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश परीक्षा सी0सी0टी0वी0 कैमरे की देखरेख मे कराया जाय। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा कोड दिया जायेगा।

2. (अ) सत्र 2017-2018 के लिए कला, विज्ञान एंव वणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के "त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम" तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष "चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम" में ही प्रवेश दिये जायेगें।

.........2

(ब) महाविद्यालयों में एल0एल0एम0 "प्रथम वर्ष" में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेगें। एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियो के छात्रों के लिए 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियो के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूचियाँ बनाई जायेगी। **प्रतीक्षा सूची योग्यतानुसार पृथक से तैयार की जायेगी जिनमें से छात्रों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेगें,** किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15-94-15/66/89 दिनांक 30.07.1994 में उल्लिखित प्राविधानो का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

(स) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि जुलाई, 2017 होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 31 अगस्त 2017 के पश्चात् नही होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेगें। यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो।

- महाविद्यालय खुलने की तिथि : 01 जुलाई, 2017
- स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 01 जुलाई, 2017
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 31 जुलाई, 2017
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 अगस्त, 2017
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण /प्रवेश की अन्तिम तिथि : 08 अगस्त, 2017
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 10 सितम्बर, 2017

3- (अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित कालेज की ***वेवसाइट*** पर प्रसारित कर दी जायेगी। छात्र तद्नुसार प्रवेश लें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेशार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।

..........3

4- (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नही ले सकेगें।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेगें। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

(स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी आर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल आर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में प्रवेशार्थियों को स्नातक के उपरान्त प्रवेश के लिये अधिकतम (03) तीन वर्ष के अन्तराल को प्राचार्य की संस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अन्तराल दो कक्षाओं के बीच का अन्तराल मान्य नही होगा। अन्तराल के नियम का पालन कड़ाई से लागू किया जाय।

टिप्पणी :-

दो वर्ष के अन्तराल (GAP) के छात्रों का ऑन लाईन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुये प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाईन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

(द) ऐसे सभी छात्र जिन्होने एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल0एल0एम0 कक्षा को छोडकर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने का अधिकारी नही होगें।

(य) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हो, परन्तु जिन्होनें सत्र के बीच में पढाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नही पा सकेगें। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोडकर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेगें।

"यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नही होगा, जिन्होने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हों।"

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:-

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college.He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

.............4

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. **यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप मे दोषी पाया गया हो।**
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5 (अ) **स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:-**

(1) बी0एस0सी0 (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी0एस0सी0 (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।

(4) बी0ए0/बी0कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

(5) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐंजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revised scheme of studies)

(संलग्नक-1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0(कृषि)/ बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषयम में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड / समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट / मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :-**

(i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एंवम् उन्ही जनपदों के इण्टरमीडियेट कॉलेजों के आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा **उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल** की सीमा के अर्न्तगत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू0पी0 आगरा मण्डल तथा डा0 भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट

.........5

कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानो पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल तथा डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, किन्तु एम0एस0सी0(कृषि) के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू0पी0 आगरा / अलीगढ़ मण्डल के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना आवश्यक नही है।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अर्न्तगत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग-2 तथा भाग-3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एंव प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चक्रामानुसार।
(iii) एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः- कोई भी महाविद्यालय एंव स्ववित्त पोषित महाविद्यालयो बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश "प्रोवीजनल"भी नही देगा।

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशो के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किय जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

........6

शैक्षणिक अंकों की गणना :-

6- (क) स्नातक कक्षायें:

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रनिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।
2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते है अथवा उस विषय में हो सकते है जिसमें विश्वविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली हो।
   (ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वार्द्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते है।
   (ग) एम0कॉम पूर्वार्द्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी0कॉम0 त्रिवर्षीय परीक्षा है।
   (घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्ही विषयों मे प्रविष्ट हो सकते है जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हों।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहॉ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंको से अधिक नही होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगितामें भाग लेने के लिएः-
   (क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
   (ग) ततृीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

.........7

2. एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उर्त्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उर्त्तीर्ण केडिटों को 6 अक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या **10+2** की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) <u>स्नातकोत्तर कक्षायें</u>:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेनेः-
   - (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 8 अंक।
   - (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 7 अंक।
   - (ग) प्रतियोगिता में ततृीय विजेता होने के लिये - 6 अंक।
   - (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 3 अंक।

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेनेः-
   - (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
   - (ख) प्रतियोगिता मे द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
   - (ग) प्रतियोगिता में ततृीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
   - (घ) प्रतियोगिता मे प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

3. एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को - 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को - 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। - 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथाकम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। - 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेजर्म के सदग्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हों। - 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
(ग) तत्रीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

नोटः-
उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) **सभी कक्षायेंः**

1. डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एंव स्ववित्त पोपित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एंव कर्मचारियो के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैक के केवल पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणीः

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र मे शैक्षणिक एंव अतिरिक्त अनुमन्य अंको की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण-पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोटः-

किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। **इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बधित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।**

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु -

(क) प्रथम विजेता होने के लिये	-	5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये	-	4 अंक।
(ग) तत्तृीय विजेता होने के लिये	-	3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये	-	2 अंक।

2. एन0सी0सी0"सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण — 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0"बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण — 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। — 3 अंक

3. एन0एस0एस0 मे 240 घण्टे का कार्य तथाकम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। — 5 अंक

4. डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एंव अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वंय जो उन पर अश्रित हो। **17 अंक**

...........10

5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियोंया अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री(अविवाहित)। **10 अंक**

नोटः-

1. किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ मे शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस कौन्सिंल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

6. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिये	-	5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये	-	4 अंक।
(ग) तत़ीय विजेता होने के लिये	-	3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिये	-	2 अंक।

नोटः-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

7- (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोडकर स्नातकोत्तर नियमित स्नातक अन्तिम वर्ष के किसी विषय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

...........11

(स) सामान्यत. स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियो मे 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय मे 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। **उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।**

(द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

8- (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश में सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ लें । उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अथ्यर्थी ही होगा।

9- प्रत्येक छात्र को वेव रजिस्ट्रेशन नम्बर (Web Regisration Number) लेना होगा। प्रवेश के समय समस्त अभ्यर्थियों को आधार कार्ड नम्बर के आधार पर W.R.N(Web Regisration Number) दिया जायेगा।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझें जायें।